पेज संख्या 1/4

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 23/2021

अपीलांट

मंजूर अली पुत्र असगर अली, जाति मुसलमान चुडिगर, निवासी लालपोल के बाहर, जालोर, तह. व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमती जरीना बानु पत्नी रियाज अमद पुत्री असगर अली, जाति मुसलमान चुडिगर, निवासी घांचीयों की पिलानी, जालोर।
2. जमीर अली पुत्र असगर अली।
3. आमना पुत्री असगर अली।
4. मेमना पुत्री असगर अली।
5. हाजरा पुत्री असगर अली, जातियान मुसलमान चुडिगर, निवासी घांचीयों की पिलानी, सुभाष मार्केट, जालोर।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभि. अपी. बाबजूद सुचना अनुपस्थित
2. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से
3. श्री साबीर खान मेहर, विद्वान अभि0 रेस्पो0 संख्या 02 से 05 की ओर से
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 16-04-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जालौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2020 बअनवान जरीना बनाम मंजूर अली वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2021 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट बावजूद सुचना अनुपस्थित होने के कारण अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय लिखाया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश अपील में वर्णित तथ्यो को ही बहस का आधार मानते हुए बहस लिखी गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जालोर "ए" के खसरा संख्या

706, 707 कुल रकबा 2.46 है. में 1/3 हिस्से 0.82 हैक्टेयर पर एक दावा रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा सहायक कलेक्टर, जालोर के समक्ष बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया। जिस पर कोरोना काल (कोविड–19) होने से अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही नही हुई और मात्र 04 माह में बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री पुनः प्राप्त की है जो ''रेसज्युडीकेटा'' के सिद्धान्त के विपरित होने से व बिना आधार बताये सभी तनीकीयात का निर्णय गुण–दोष के आधार पर नही कर मात्र दो लाइनो में तनकी का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध करने की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल हूई है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने इतने उतावलेपन व आपाधापी तरीके से निर्णय करने में अति उत्साह का प्रदर्शन करने के कारण मुझ अपीलांट को प्रस्तुत काउन्टर क्लेम संबंधी तनकी संख्या 4–5 को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर भी प्रदान नही किया। मुझ अपीलांट ने 18.11.2020 को जबाव दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया। तनकी बनाते समय दस्तावेज पेश करने का अवसर मांगा गया जो नही दिया व उसी दिन तनकी बना दी गई मेरे बयान दिनांक 11.02.2021 को लिये गये तथा दिनांक 03.03.2021 से पूर्व साक्ष्य बंद कर दिनांक 03.03.2021 की पेशी पर बहस सुन ली गई। जबकी 24.02.2021 को मेरे तीन गवाह पकाराम, इरफान अली, हजारीमल स्वयं बयान करवाने हेतु अपने–अपने साक्ष्य शपथ पत्र लेकर न्यायालय में उपस्थित थे फिर भी उनके बयान लेखबद्ध नही करवाये गये, सबुतार्थ तीनो के असल शपथ–पत्र तस्दीकसुदा इस अपील के साथ संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्ही पक्षकारान के विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.09.2019 गुणावगुण पर इसी विषय वस्तु पर आधारित था जो इस वाद में विषय वस्तु है तथा पूर्व दावे में वही खसरा नबंर वही पक्षकारान, वही जरीना का 1/3 हिस्सा विवादित था। वह दोनो दावे में वही अनुताष बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पूर्व दावे में जरीना प्रतिवादी नबंर एक थी उसने काउन्टर क्लेम के जरिये बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था। काउन्टर क्लेम भी दावे के समकक्ष ही रूप है। दुसरा दावा जरीना वादीया बनकर आई है वह भी उस परिस्थिति में प्रथम निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में डिक्री अपील जरीना के विरूद्ध विचाराधीन है, जिसका हमने हमारे जवाब दावे का काउन्टर क्लेम किया है। जब पूर्व दावा अधीनस्थ न्यायालय ने ही निर्णित करने बित् जवाबदावे का उल्लेख करते हुये तनकी संख्या 3 का निर्णय वादी जरीना के विरूद्ध कर नया दावा खारिज करना कानूननः आवश्यक था। इसके विपरित तनकी संख्या 3 का निर्णय मेरे विरूद्ध करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जालोर ''ए'' के खसरा संख्या 706, 707 कुल रकबा 2.46 है. में 1/3 हिस्से 0.82 हैक्टेयर की आराजी अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 01 लगायात 05 तक की पुश्तैनी संयुक्त कब्जा काश्त की आई हुई है। जिसमें रेस्पो0 संख्या 01 का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.82 हैक्टेयर तथा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 02 से लगायत 05 का 2/3 हिस्सा अर्थात 1.66 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी आराजी आती है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में दिनांक 20.06.2014 को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्णय दिया था। एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 3/4

अदालत सहायक कलेक्टर, जालोर ने राजस्व वाद संख्या 38/2009 मंजूर अली बनाम जरीना बानू बगैरा में दिनांक 28.08.2019 को निर्णय व डिक्री देते हुए उक्त आराजी में रेस्पो0 संख्या 01 का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.82 हैक्टेयर तथा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 02 से 05 तक का 2/3 हिस्सा अर्थात 1.64 हैक्टेयर भूमि का खातेदारी कब्जा काश्त माना है। तथा इसी के अनुसार बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष रेस्पो0 संख्या 01 प्राप्त करने की हक–अधिकारिणी है। साथ ही उक्त विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 01 से लगायत 05 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी, कब्जा–काश्त शुदा भूमि है, जिसमें रेस्पो0 संख्या 01 को अपने हक–हिस्से के अनुसार संयुक्तरूप से काश्त करने में परेशानी आ रही है तथा फसल के हिस्से को लेकर अपीलांट झगड़ा करता रहता है, जिससे रेस्पो0 संख्या 01 को अपने हिस्से को बंटवाड़ा के जरिये अलग करवाना चाहती है क्योकि रेस्पो संख्या 01 के साथ अपीलांट व अन्य रेस्पो0 संख्या 02 से 5 तक आकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिये नही आ रहे है। जिससे हमको अपने हिस्से की भूमि पर सही तरह से काश्त करने के लिये बंटवाड़ा करवाना आवश्यक हो गया है। बंटवाड़ा होने पर हम (रेस्पो. संख्या 01) अपने हिस्से की भूमि पर सही ढ़ग से काश्त कर सके व करवा सके तथा अपने हिस्से की भूमि को और उपजाउ बना सके। अतः हाजा न्यायालय से निवेदन है कि वे उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरान का वाद के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से मार्क ABCD के अनुसार प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार रेस्पो0 संख्या 01 के हिस्से तथा अपीलांट एवं रेस्पों. सख्या 02 से 05 तक के हिस्से में आयी अलग अलग भूमि का सीमांकन बाई मीट एंड बाण्उड्स के करवाया जाकर अलग अलग रूप से खातेदारी में अंकन करवाय जावे, तथा इसी अनुरूप कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो कि विधिसम्मत है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरान का वाद के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से मार्क ABCD के अनुसार प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार रेस्पो0 संख्या 01 के हिस्से तथा अपीलांट एवं रेस्पों. सख्या 02 से 05 तक के हिस्से में आयी अलग अलग भूमि का सीमांकन बाई मीट एंड बाण्उड्स के करवाया जाकर अलग अलग रूप से खातेदारी में अंकन करवाया जावे, तथा इसी अनुरूप कब्जा दिलाया जाने बाबत निवेदन किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा पूर्व में वादग्रस्त आराजी के संबध में एक वाद संख्या 38/2009 अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसके अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधि अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा को आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.08.2019 को पारित किया गया जिसमें उक्त विवादित आराजी पर रेस्पो0 संख्या 01 का 1/3 हिस्सा अर्थात 0.82 हैक्टेयर तथा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 02 से 05 तक का 2/3 हिस्सा अर्थात 1.64 हैक्टेयर भूमि का खातेदारी अपने–अपने हक–हिस्से व माफिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त होना स्वीकार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। इसके अतिरिक्त उक्त वाद के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल के समक्ष अपीलांट के द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 20.06.2014 द्वारा सहायक कलक्टर, जालौर के राजस्व वाद संख्या 38/2019 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.08.2019 के अनुसार किये गये बंटवाड़े को ही यथावत रखा गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो की विधिवत पालना करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जालौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 012/2020 बउनवान जरीना बनाम मंजूर अली वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2021 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16-04-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नागिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली